आदेश–पत्रक

ईखायुक्त, बिहार, गन्ना उद्योग विभाग के समक्ष सुनवाई से संबंधित।

आदेश का संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
1	2	3
22.07.2026	जिला पूर्वी चम्पारण के अंतर्गत मेसर्स विष्णु सुगर मिल, गोपालगंज को अपरंपरागत रूप से आरक्षित 165 ग्रामों को पेराई सत्र 2026–27 से 2028–29 तक भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया के पक्ष में अपरंपरागत रूप से आरक्षण के प्रस्ताव पर सुनवाई किया गया। सुनवाई के दौरान भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया के प्रतिनिधि, मेसर्स विष्णु सुगर मिल्स लि०, गोपालगंज के प्रतिनिधि एवं बजाज हिन्दुस्थान सुगर्स लि० प्रतापपुर, उत्तरप्रदेश के प्रतिनिधि तथा ईख पदाधिकारी, गोपालगंज उपस्थित हैं। भारत सुगर मिल्स सिधवलिया के प्रतिनिधि द्वारा लिखित कथन दाखिल कर कहा गया कि पेराई सत्र 2010–11 में जब मेसर्स हनुमान सुगर मिल्स, मोतिहारी बंद हुई तो उसके सभी आवंटित ग्रामों को आवंटन निकटवर्ती चीनी मिलों यथा–विष्णु सुगर मिल, गोपालगंज, भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया, मंझौलिया एवं सुगौली चीनी मिलों को अपरम्परागत रूप से किया गया। जब पेराई सत्र 2020–21 में सासामुसा सुगर वर्क्स, सासामुसा बंद हुई तो उसके समस्त परंपरागत ग्रामों जिसमें लगभग 16,000 एकड़ गन्ने का क्षेत्रफल था को गन्ना उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा केवल विष्णु सुगर मिल, गोपालगंज को आवंटित किया गया। जबकि पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत जो ग्राम विष्णु सुगर मिल को पेराई सत्र 2020–21 में आवंटित किए गए थे उसे सिधवलिया चीनी मिल के पक्ष में आवंटित किया जाना था क्योंकि विष्णु सुगर मिल अपने गन्ने की खरीद पूर्वी चम्पारण जिला द्वारा सिधवलिया चीनी मिल के रास्ते होते हुए 35 किलोमीटर दूर अपने मिल को ले जाया करता है, जिससे गन्ने की अवैध खरीद को बढ़ावा मिलता है। पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत सिधवलिया चीनी मिल को आवंटित किए गए ग्रामों में गन्ना विकास के कार्यो को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए उसे 4 ब्लॉकों में विभाजित करते हुए कुल 25 स्टाफ नियुक्त कर ईख विकास के कार्यों को संपादन कराया जाता है। उन्नतशील प्रजातियों के गन्ना बीज, दवा, कृषि, मशीनीकरणयंत्र पर 40 प्रतिशत की छुट पर किसानों के मध्य वितरित करा कर गन्ना विकास का कार्य कराया जा रहा है, जबकि विष्णु सुगर मिल द्वारा किसी भी	

प्रकार कोई विकास कार्य का संचालन नहीं किया जाता है।

पूर्वी चम्पारण जिला के अंतर्गत संग्रामपुर थाना नं0–172 को दो भागों में विभाजित करते हुए एक भाग सिधवलिया चीनी मिल तथा दूसरे भाग मंझौलिया चीनी मिल को आवंटित किया गया है। इसी प्रकार ढेकहा ग्राम, थाना नं0–217/218 को दो भागों में विभाजित करते हुए एक भाग विष्णु सुगर मिल को आवंटित किया गया है जबकि पूर्व में यह दोनों ग्राम सिधवलिया चीनी मिल के पक्ष में आवंटित थे, जिससे गन्ने की खरीद में अवैधानिक रूप से बढ़ावा मिलता है जबकि यह दोनों ग्राम हमारे चीनी मिल के नजदीक है।

पेराई सत्र 2020–21 में बंद सासामुसा चीनी मिल के ग्रामों का आवंटन जिसमें 16,000 एकड़ का केवल विष्णु सुगर मिल को हीं कर दिया गया है, इसके बावजूद पूर्वी चम्पारण जिला के अंतर्गत पूर्व में आवंटित ग्रामों के तहत कुल 12,000 एकड़ को भी आवंटित कर दिया गया जबकि इन 12,000 एकड़ के ग्रामों का आवंटन सिधवलिया चीनी मिल के पक्ष में होना चाहिए।

विष्णु सुगर मिल, गोपालगंज के क्रय केन्द्र हमारी चीनी मिल को आवंटित ग्रामों के नजदीक होने के कारण गन्ने की खरीद दलालों के माध्यम से किया जाता है, जिससे छोटे किसानों को गन्ने की खेती के प्रति रूची कम हो रही है। दलालों द्वारा गन्नें को बिना मेच्युरिटी ही काट कर चीनी मिल को आपूर्ति कर दिया जाता है, जिससे खूँटी गन्ने का क्षेत्रफल घटकर मात्र 35–40 प्रतिशत रह गई है। पूर्वी चम्पारण जिला में लगभग 275 डोजर गन्ना माफिया के पास है जो छोटे एवं गरीब किसानों के खेतों से हीं गन्ने की खरीद कर कई चीनी मिलों को आपूर्ति करते है, जिससे हमारी चीनी मिल गन्ने की कमी से जुझते हुए निर्धारित कार्य दिवस के पूर्व ही बंद हो जाती है।

न्यू सिवान चीनी मिल के बंद हो जाने के उपरांत उसके समस्त 480 ग्रामों को अपरम्परागत रूप से मेसर्स बजाज हिन्दुस्थान सुगर्स लि0, प्रतापपुर, उत्तरप्रदेश को आवंटित किया गया है जो विष्णु सुगर मिल्स, गोपालगंज के आवंटित ग्रामों से नजदीक है। अतएव, न्यू सिवान चीनी मिल के समस्त 480 ग्रामों को मेसर्स विष्णु सुगर मिल्स, गोपालगंज के पक्ष में आवंटित किया जाना हितकर होगा एवं पूर्वी चम्पारण जिला के अंतर्गत पेराई सत्र 2026–27 से 2028–29 तक के लिए अपरम्परागत रूप से होनेवाले ग्राम आवंटन को ध्यान में रखते हुए पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत विष्णु सुगर मिल को पूर्व में आवंटित 165 ग्रामों को हमारी चीनी मिल के पक्ष में आवंटित किया जाना हितकर होगा क्योंकि बंद चीनी मिल, सासामुसा के सभी ग्राम विष्णु सुगर मिल के पक्ष में ही आवंटित है। इनका यह भी कहना है कि हमारे गेट से गुजर कर विष्णु सुगर मिल को गन्ना जाता है।

विष्णु सुगर मिल के प्रतिनिधि द्वारा लिखित जबाव दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि

	अनुसार क्षेत्र देना चाहते है। साथ ही इनके द्वारा लिखित जबाव के लिए समय की मांग की गई। ईख पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा कहा गया कि किसी भी मिल को कोई आपत्ति नहीं है। अतएव पूर्वी चम्पारण पूर्ववत रखा जाए। साथ ही लिखित जबाव दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। सभी पक्षों को सुना, संबंधित ईख पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि Rationalization Existing गाँव अभी किससे पास है और वहाँ Cane area कितना Develop है, इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा समर्पित करें। साथ हीं Overlap को कैसे Reduce कर किसी भी चीनी मिल के गेट से गन्ना गुजरते हुए दूसरे चीनी मिल में जाता है उसका उपाय करें। अपरम्परागत क्षेत्रों के आरक्षण हेतु क्षेत्रीय किसानों एवं उनके प्रतिनिधियों से भी विचार विमर्ष करना न्यायोचित प्रतीत होता है। सभी संबंधित पक्ष अपना लिखित जबाव दाखिल करें। कार्यालय सभी संबंधित पक्षों को अगली बैठक की तिथि निर्धारित होने पर सूचित करें। ह०/– **लेखापित एंव शुद्धित।** ह०/– **ईखायुक्त, बिहार।**	

ज्ञापांक–02/रेगु०–2–800–22/2020– 1390 /ई०का० /पटना, दिनांक 30 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि–महाप्रबंधक/दखलकार, मेसर्स मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि०, इकाई–भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया, गोपालगंज/ईख पदाधिकारी, गोपालगंज/मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.7.26

(वेदव्रत कुमार)
संयुक्त ईखायुक्त।

ज्ञापांक–02/रेगु०–2–800–22/2020– 1390 /ई०का० /पटना, दिनांक 30 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि–ईखायुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त ईखायुक्त/सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

30.7.26

संयुक्त ईखायुक्त।

ज्ञापांक–02/रेगु०–2–800–22/2020– 1390 /ई०का० /पटना, दिनांक 30 जुलाई, 2026

प्रतिलिपि– आई॰ टी॰ प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

30.7.26

संयुक्त ईखायुक्त।

Hearing-Is